जमानत आवेदन पत्र संख्या–292 / 2022
शंकर बावरिया व अन्य बनाम राजस्थान राज्य
जमानत आवेदन पत्र संख्या–293 / 2022
विनोद मीणा बनाम राजस्थान राज्य
जमानत आवेदन पत्र संख्या–294 / 2022
टीनू सिंह बनाम राजस्थान राज्य
आदेश दिनांक 10.06.2022

न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश दूदू, जिला जयपुर,
लिंक न्यायालयः अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या–एक सांभर लेक,
जिला जयपुर।

पीठासीन अधिकारी — बृजेश कुमार–I, आर. जे. एस.
जिला न्यायाधीश संवर्ग,

1–जमानत आवेदन संख्या — 292 / 2022

एन सी वी नंबर — 292 / 2022

1. शंकर पुत्र बनवारी, निवासी लालपुरा पचार, थाना कालवाड, जिला जयपुर
2. दिनेश कुमार उर्फ डी.के. पुत्र राजूलाल, निवासी रामकूई पचार, थाना कालवाड, जिला जयपुर

2–जमानत आवेदन संख्या — 293 / 2022

एन सी वी नंबर — 293 / 2022

1. विनोद मीणा पुत्र मूलचंद मीणा, निवासी बोकडावास, थाना नरेना, जिला जयपुर

3–जमानत आवेदन संख्या — 294 / 2022

एन सी वी नंबर — 294 / 2022

1. टीनू सिंह उर्फ बन्ना पुत्र नन्दसिंह, निवासी जून्ध, थाना बगरू, जिला जयपुर

.....प्रार्थीगण / अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य

......अप्रार्थी

जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं.
एफ आई आर नम्बर 107 / 2022, थाना नरेना
धारा 457, 380 भा.दं.सं.

उपस्थितः–
1–श्री कुशराज सिंह राजावत, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण / अभियुक्तगण शंकर व दिनेश।

जमानत आवेदन पत्र संख्या–292 / 2022
शंकर बावरिया व अन्य बनाम राजस्थान राज्य
जमानत आवेदन पत्र संख्या–293 / 2022
विनोद मीणा बनाम राजस्थान राज्य
जमानत आवेदन पत्र संख्या–294 / 2022
टीनू सिंह बनाम राजस्थान राज्य
आदेश दिनांक 10.06.2022

2– श्री योगराज पडियार, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी / अभियुक्त विनोद मीणा
3– श्री शेख अनवर अली, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी / अभियुक्त टीनू सिंह उर्फ बन्ना
4–श्री श्रवणलाल जाखड़ विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य।

आदेश

दिनांकः–10.06.2022

न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश दूदू, जिला जयपुर के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण यह जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु लिंक न्यायालय के समक्ष पेश हुआ।

प्रार्थीगण / अभियुक्तगण शंकर बावरिया, दिनेश की ओर से यह जमानत आवेदन विद्वान अधिवक्ता श्री कुशराज सिंह राजावत, प्रार्थी / अभियुक्त विनोद मीणा की ओर से जमानत आवेदन विद्वान अधिवक्ता योगराज पडियार एवं प्रार्थी / अभियुक्त टीनू सिंह उर्फ बन्ना की ओर से जमानत आवेदन विद्वान अधिवक्ता श्री शेख अनवर अली ने अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. में एफ आई आर नम्बर 107 / 2022, थाना नरेना में पेश किया। नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। जमानत आवेदन पर बहस सुनी गयी। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी रामलाल चूरनियां ने एक तहरीरी रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिस थाना नरेना के समक्ष इस आशय की पेश की कि वह ममाणा का रहने वाला है। दिनांक 07.05.2022 को सायं 11 पीएम पर उसके मकान के अन्दर की कुंदी बंद करके व छत की ऊपर की कुंदी बंद करके वह एवं उसकी पत्नी गीता देवी छत पर सो गये थे। उसकी मां और बच्चे नीचे मकान के चौक में सो गये थे। दिनांक 08.05.2022 को उसकी मां नौसर देवी 2:30 एएम पर उठी, जिसने दरवाजा खुल्ला देखा तो सामान बिखरा हुआ था और टंकी का लॉक टूटा हुआ था। यह देखकर उसकी मां रोने लगी तब वह व उसकी पत्नी आवाज सुनकर ऊपर से नीचे आये तो उसने देखा कि मां के कमरे से 23 हजार रुपये और सोने के आभूषण, 5 तोला सोने की कंठी, 5 तोले की दो पूच, 1 तोला सोने की नथ, 5 जोडी सोने के लोंग, दो तोले के झूमर व झेला, 5 किलो चांदी के आभूषण, 5 जोडी कडा कन्कती, 3 पैरों की टण्डा आदि और उसके कमरे से 70 हजार रुपये व सोने की चैन व अंगूठी ले गये ....आदि।

इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना नरेना में अभियोग सं. 107 / 2022 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.सं. दर्ज किया गया जो अनुसंधान की स्टेज पर लम्बित है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण / अभियुक्तगण का बहस के दौरान यह निवेदन रहा है कि प्रार्थीगण / अभियुक्तगण को झूंठे तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। वे मजदूरी पेशा व्यक्ति हैं, जो मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का जीवनयापन करते हैं। उनसे किसी प्रकार की बरामदगी शेष नहीं है न ही उनकी

जमानत आवेदन पत्र संख्या–292 / 2022
शंकर बावरिया व अन्य बनाम राजस्थान राज्य
जमानत आवेदन पत्र संख्या–293 / 2022
विनोद मीणा बनाम राजस्थान राज्य
जमानत आवेदन पत्र संख्या–294 / 2022
टीनू सिंह बनाम राजस्थान राज्य
आदेश दिनांक 10.06.2022

अनुसंधान में आवश्यकता है, वे दिनांक 01.06.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः प्रार्थीगण / अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जावे। जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का खण्डन किया तथा प्रार्थीगण / अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण / अभियुक्तगण के विरुद्ध परिवादी रामलाल चूरनियां के रिहायशी मकान का ताला तोड़कर उसकी मां के कमरे से 23 हजार रुपये और सोने के आभूषण, 5 तोला सोने की कंठी, 5 तोले की दो पूच, 1 तोला सोने की नथ, 5 जोडी सोने के लोंग, दो तोले के झूमर व झेला, 5 किलो चांदी के आभूषण, 5 जोडी कडा कन्कती, 3 पैरों की टण्डा आदि और उसके कमरे से 70 हजार रुपये व सोने की चैन व अंगूठी चुरा कर ले जाने का मामला है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना नहीं बताया गया है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण से कोई अनुसंधान शेष नहीं है, वे दिनांक 01.06. 2022 से अभिरक्षा में है, उनके विरुद्ध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामला है। अतः मामले की परिस्थितियों के मध्य नजर प्रार्थीगण / अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण / अभियुक्तगण 1. शंकर पुत्र बनवारी, 2. दिनेश कुमार उर्फ डी.के. पुत्र राजूलाल, 3. विनोद मीणा पुत्र मूलचंद मीणा, 4. टीनू सिंह उर्फ बन्ना पुत्र नन्दसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. स्वीकार कर यह आदेश है कि प्रत्येक प्रार्थीगण / अभियुक्तगण यदि 25–25,000 हजार रुपये की दो जमानत व 50,000 हजार रुपये की राशि का बंध पत्र विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होने बाबत पेश कर तस्दीक करावें तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(बृजेश कुमार–I)
अपर सैशन न्यायाधीश दूदू जिला जयपुर।
लिंक न्यायालयः अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
संख्या–एक सांभर लेक, जिला जयपुर।

आदेश दिनांक 10.06.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(बृजेश कुमार–I)
अपर सैशन न्यायाधीश दूदू जिला जयपुर।
लिंक न्यायालयः अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
संख्या–एक सांभर लेक, जिला जयपुर।